प्रेस विज्ञप्ति

9/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत **मेसर्स इनोवेटिव स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा किए गए धोखाधड़ीपूर्ण लेखांकन कार्यों से संबंधित एक मामले में, **सरवण प्रसाद** की 42.45 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), बैंगलोर द्वारा विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय, बेंगलुरु के समक्ष विशेष सीसी संख्या 404/2019 में दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जाँच शुरू की। जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, मेसर्स इनोवेटिव स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने धोखाधड़ी से 2.5 लाख रुपये का व्यय घोषित किया। **मेसर्स अमोघा एंटरप्राइजेज** और **मेसर्स मिला टेक्नोक्राफ्ट एलएलपी** के नाम पर 1.49 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। इसमें से लगभग 1.02 करोड़ रुपये की राशि को काल्पनिक व्यय के बदले नकद भुगतान के रूप में दिखाया गया, जिससे 1.02 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) अर्जित हुई।

ईडी की जाँच से पता चला कि उस समय कंपनी के प्रबंध निदेशक, सरवण प्रसाद, मुख्य निर्णयकर्ता थे और धोखाधड़ी वाले लेन-देन के लिए ज़िम्मेदार थे। उन्होंने निर्देश दिया कि ऑडिट की लाल झंडियों से बचने के लिए प्रति वाउचर 20,000 रुपये से कम मूल्यवर्ग में नकद भुगतान किया जाए। कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित वाउचर, बिल या कार्य निष्पादन के प्रमाण जैसे कोई सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। निदेशकों और वैधानिक लेखा परीक्षक के बयानों से यह भी पता चला कि लेन-देन काल्पनिक थे और सरवण प्रसाद के निर्देशों और पर्यवेक्षण में किए गए थे।

चूँकि नकद में उत्पन्न पीओसी का पता नहीं लगाया जा सका, और यह स्थापित हो गया कि सरवण प्रसाद मुख्य निर्णयकर्ता और अंतिम लाभार्थी थे, इसलिए उनके नाम पर एक अचल संपत्ति - फ्लैट संख्या एमआईजी 22/129, डोम्लुर ॥ स्टेज, बेंगलुरु, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1114.5 वर्ग फुट है, जिसे 2020 में रुपये 42.45 लाख में खरीदा गया था, को पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)यू में वर्णित पीओसी के समतुल्य मूल्य के रूप में पहचाना गया है और पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जाँच जारी है।